अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
घंटाघर, भागलपुर–812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com website:-www.ctebhagalpur.in

अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण प्राप्ति हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर के परिसर में Painting and Repairing of Principal Quarter के कार्य हेतु कनीय अभियंता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर के द्वारा तैयार प्राक्कलन जिसकी राशि मो0–1,55,400.00/– (एक लाख पचपन हजार चार सौ रू0) मात्र को आवासीय एवं सहायक अभियंता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण बिहार ,पटना के द्वारा तकनीकी स्वीकृति के उपरांत पंजीकृत अथवा अन्य इच्छुक संवेदकों के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन संबंधित दिशानिर्देश निम्नवत् है–

1. कोटेशन सील बंद लिफाफे में दिनांक–19.01.2026 के संध्या 05:00 बजे तक प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर–812001 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथों–हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
2. निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कोटेशन दिनांक–20.01.2026 को अपराह्न 04:00 बजे प्राचार्य कक्ष में गठित आंतरिक समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा।
3. सबसे कम दर (L1) वाले कोटेशन दाता के जाँच अनुबंध कर कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा।
4. कार्य का विवरण:–

Sl.No	District Name	Name of Work	BOQ Amount In Rupees	EMD In Rs	Cost of BOQ In Rs	Period of Completion
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhagalpur	Painting and Repairing of Principal Quarter , CTE, Bhagalpur	1,55,400.00/-	3108/-	500/-	15 दिन

नोट:–(i)प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

5. (क) परिमान विपत्र के मूल्य का Bank Demand Draft (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं Principal, CTE Bhagalpur के नाम से देय एवं भागलपुर में भुगतेय होना चाहिए।
6. कोटेशन की वैधता अवधि–15 दिन।
7. बिहार सरकार के संबंधित सरकारी संस्थान यथा–RCD (पथ निर्माण विभाग) से निबंधन होना अनिवार्य है।
8. सक्षम प्राधिकार के पास कोई कारण बताये बिना कोटेशन के आंशिक/पूर्ण भाग के कार्यों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. संवेदक द्वारा समर्पित कागजातों के आलोक में तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन के पश्चात संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। स्वीकृत संवेदक/ कोटेशन दाता को कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत अतिरिक्त 3% (तीन प्रतिशत) अर्थात कुल प्राक्कलित राशि का 5% (पांच प्रतिशत) अग्रधन की राशि के रूप में एकरारनामा करने के पूर्व जमा करना होगा।
10. संवेदक के विपत्र राशि का 5% जमानत की राशि के रूप में लिया जायेगा। इस प्रकार संवेदक से कुल 10%(5% अग्रधन की राशि 5% जमानत की राशि) राशि लिया जायेगा जो संवेदक द्वारा संतोषप्रद कार्य पूर्ण होने के 06 माह उपरांत वापस कर दी जायेगी।
11. कोटेशन दाता को निम्नलिखित आशय का कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए करना अनिवार्य होगा।
    (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
    (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बंधित (Debar) काली सूची (Black Listed) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय के अंदर एंकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
    (ग) मेरा/ हमारा कोई निकटतम संबंधी अभिप्रेत है पति/ पत्नी, माता/ पिता,भाई/ बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) आधारभूत संरचना निगम प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रुप में कार्यरत नहीं है।
    (घ) कोटेशन में संलग्न सभी प्रमाण पत्र कागजात, विवरणी सत्य है।
    (ड़) उपर्युक्त कंडिका क,ख,ग एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका ड़ में से कोई अभिलेख असत्य,नकली जाली पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा वे संवेदक के उपर विधि सम्मत दंड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिये स्वतंत्र होगे।
12. बिहार सकरार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के आलोक मे लेबर सेस तथा मालिकाना फीस (Seigonoragge fees) की कटौती नियमानुकुल संवेदक के विपत्र से की जायगी।
13. बिहार सकरार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से जी.एस.टी/टी.डी.एस इत्यादि की कटौती किया जायेगा।
14. निम्नांकित मामलों में अग्रधन की राशि जब्त की जा सकेगी:–
    i. कोटेशन की अंतिम तिथि के उपरांत कोटेशन वापस लेने की स्थिति में।
    ii. सफल कोटेशनदाता द्वारा निर्धारित अवधि के अदंर कार्यादेश स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में।
    iii. यदि कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन में कोई गलत सूचना दी जाती है।
15. निर्मित कार्य का Defect liability period पूर्णता की तिथि से छः माह होगा।
16. स्वीकृत कोटेशनदाता को समस्त कार्य महाविद्यालय स्तर पर गठित कार्य "असैनिक कार्य गुणवत्ता जाँच समिति" के द्वारा Approved Estimate के आलोक में दिये गये आदेशानुसार ही करना होगा। किसी भी प्रकार के छोटे–मोटे बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
17. यदि अधोहस्ताक्षरी महाविद्याालय के संज्ञान में संबेधित एजेंसी/संवेदक द्वारा कार्य संपादन में कोई संगीन चूक होने या संबंधित एजेंसी/संवेदक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से कार्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है, या सफल कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन में निर्धारिंत शर्तों से विचलन की स्थिति में एजेंसी/संवेदक का अनुबंध समाप्त कर Security Deposit के रूप में जमा राशि जब्त करने के साथ–साथ संबंधित एजेंसी/संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाई की जा सकती है।

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर–812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com website:-www.ctebhagalpur.in

18. इस विज्ञप्ति की सभी शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
19. निर्धारित अवधि से विलंब से कार्य के पूरा होने की स्थिति में निम्नवत की जायेगी–

निर्धारित अवधि से विलंब से कार्य के पूरा होने पर	**विलंब से कार्य के पूरा होने के उपरांत देय राशि पर कटौती की प्रतिशत दर**
एक सप्ताह विलंब होने पर	2 **प्रतिशत**
दो सप्ताह विलंब होने पर	5 **प्रतिशत**
दो सप्ताह से अधिक विलंब होने पर	भुगतान का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही Security Deposit को जब्त करते हुए एजेंसी/संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाई की जायेगी

20. **नियम एवं शर्तेः–**

कोटेशन दाताओं को कोटेशन के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को उपलब्ध करना अनिवार्य है।

I. सिविल वर्क सम्बंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
II. जी० एस० टी० का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
III. पिछले वर्ष के एक वर्ष के जी० एस० टी० रिटर्न की प्रति
IV. आयकर पैन कार्ड
V. पिछले Assessment Year के IT Return की प्रति
VI. आधार कार्ड की प्रति
VII. चरित्र प्रमाण–पत्र

बिना कारण बताये कोटेशन या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ परिवर्तित करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। यदि न्यूनतम दर वाले कोटेशनदाता के साथ अनुबंध किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो उसके बाद कम दर अंकित करने वाले कोटेशनदाता का चयन कर न्यूनतम दर (L1) पर कार्य करने हेतु अनुबंध किया जाएगा।

Meenakshi 12.01.2026
प्रभारी प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

ज्ञापांक–70 भागलपुर, दिनांक–12.01.2026

प्रतिलिपिः–संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वृहत् प्रचार–प्रसार हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट, मुख्य द्वार, वेवसाईट, जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी भागलपुर के सूचना पट्ट पर प्रदशित करें।

प्रतिलिपिः–J.E. CTE Bhagalpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्रय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, SCERT Patna की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Rituraj Gaurav 12/01/2026

12/01/2026

12/1/26

Meenakshi 12.01.2026
प्रभारी प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर